


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हर्ष कुमार बनाम उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू 335/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00222)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.03.20	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उनकी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2018 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2018 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (के०सी०वर्मा) संभागीय आयुक्त संभागीय आयुक्त जयपुर </p>	